.अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन हेतू संशोधित मार्गदर्शिका

राज्य सरकार ने वर्ष 2007–08 में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु बहुआयामी प्रयास के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के नाम से एक वृहद् कार्यक्रम स्वीकृत किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला मे एक अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान एक प्रमुख घटक के रूप में किया गया है।

1. **योजना का उद्देश्य :–** परिवार एवं समाज में घरेलू हिंसा, यौन–उत्पीड़न, मानव पणन (Trafficking), दहेज अथवा अन्य कारणों से प्रताड़ित महिलाओं एवं किशोरियों की समस्याओं के निराकरण हेतु, उन्हें सामाजिक–मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सकीय एवं कानूनी सहायता, कौशल एवं क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण तथा पुनर्वास एवं अल्पकालीन आश्रय की सुविधा प्रदान करना अल्पावास गृह का मुख्य उद्देश्य है।
2. **संचालन विधि :–** राज्य के सभी जिलों में अल्पावास गृह की स्थापना किया जाना है। अतः इसके संचालन एवं कार्य–प्रणाली की एक समान व्यवस्था लागू हो सके, उसे ध्यान में रखते हुए यह मार्गदर्शिका तैयार की गई है।

<u>अल्पावास गृह के संचालन व्यवस्था हेतु 02 विकल्प होगें यथा</u>

क) निगम के 'जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय' के माध्यम से :– अल्पावास गृह हेतु स्वीकृत श्रमबल एवं अन्य मूलभुत आवश्यकताओं के व्यवस्था होने के उपरांत सीधे जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय के माध्यम से योजना का संचालन किया जायेगा।

ख) जिला में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय स्थापित न होने की स्थिति में विहित विधि से चयनित 'स्वयंसेवी संस्था' के माध्यम से योजना का संचालन।

<u>विकल्प 'दो' के संदर्भ में स्वयंसेवी संस्था की अहर्त्ताएँ निम्नवत होगी :–</u>

क. संस्था स्वतंत्र वैधिक इकाई के रूप में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से निबंधित हो या पब्लिक ट्रस्ट जो तद्समय प्रभावी किसी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम तीन (3) वर्ष पूर्व से निबंधित हो।

ख. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो तथा विचाराधीन वित्तीय वर्ष के पूर्व 03 वित्तीय वर्षो में संस्था द्वारा न्यूनतम 25 लाख रूपये का वार्षिक लेन–देन किया गया हो।

ग. महिलाओं एवं बालिकओं से संबंधित आवासीय कार्यो/योजना संचालन का अनुभव अनिवार्य।

घ. महिला संबंधित विषयों यथा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव पणन(मानव व्यापार),दहेज इत्यादि से संबंधित कार्यानुभव।

ड. संस्था किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं की गई हो तथा ना ही संस्था के किसी सदस्य के उपर न्यायालय द्वारा कोई मुकदमा तथा आरोप पत्र सिद्ध हुआ हो।

च. नीति आयोग के तहत संस्था पंजीकृत हो।

छ. संस्था आयकर अधिनियम 12ए के तहत निबंधित तथा विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।

3. संचालन नियमावली :–

क) <u>महिला विकास निगम की भूमिका:–</u>

I. राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित अल्पावास गृह की मार्गदर्शिका के आलोक में सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य।

II. जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अल्पावास गृह योजना के संचालन हेतु राशि का आवंटन एव संस्था का अनुबंध नवीनीकरण, महिला विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

III. प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मार्गदर्शिका में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन में त्रुटि/कमी पाये जाने की स्थिति में जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में अनुबंध अवधि के दौरान कभी भी संचालक संस्था को कार्य मुक्त/अनुबंध रद्द का निर्णय।

IV. योजना के कार्यान्वयण हेतु जिला स्तर पर 'जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम को जिला में निगम के नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करना।

V. संस्था सचिव एवं अल्पावास गृह में कार्यरत परियोजना कर्मियों के मध्य विवाद के कारण योजना का संचालन बाधित होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी अथवा जिला परियोजना प्रबंधक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर योजना के संचालन के संबंध में अंतिम निर्णय लेना।

ख) जिला प्रशासन की भूमिकाः—

जिला में अल्पावास गृह योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होगें एवं इनके सम्पूर्ण नियंत्रण में योजना संचालित होगी।

I. योजना के कार्यान्वयण हेतु जिला स्तर पर 'जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.' नोडल पदाधिकारी नामित हैं। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी —सह— नोडल पदाधिकारी योजना के सुचारू संचालन हेतु नियमित समीक्षा, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करेंगे।

II. विशेष परिस्थितियों जैसे संवासिनों का अल्पावास गृह से भागने, संवासिन की मृत्यु, संवासिनों के साथ हिंसक वारदात होने जैसे असामान्य घटना होने के स्थिति में जिला प्रशासन जॉच कराते हुए समुचित कार्रवाई कर, प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

III. योजना के संचालन हेतु कंडिका 15(iii)(क) के अनुरूप गठित समीक्षा समिति के अध्यक्ष जिला प्रोग्राम पदाधिकारी—सह—नोडल पदाधिकारी जिला प्रशासन, होंगे, जो प्रत्येक तीन माह पर योजना संचालन की समीक्षा करेगें।

IV. जिला में योजना के संचालन हेतु संस्था के चयन के लिये निगम के स्तर पर गठित चयन समिति में संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी—सह—नोडल पदाधिकारी तथा संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक बतौर सदस्य के रूप में भाग लेंगे। अपरिहार्य कारणवश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा चयन समिति में भाग नहीं लेने के स्थिति में जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेंगे।

V. जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। जिला परियोजना प्रबंधक की भूमिका संयोजक की होगी। प्रशिक्षण पुर्नवास पदाधिकारी, संचालक संस्था के सचिव एवं परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन सदस्य के रूप में भाग लेगें।

VI. जिला स्तर पर योजना से संबंधित सचिकाएँ जिला प्रोग्राम कार्यालय में संरक्षित रखी जायेगी, जिसका अग्रसारण जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम के माध्यम से कि जायेगी।

VII. किसी भी संवासिन के भागने/मृत्यु के कारणों की जॉच हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम (जिसमे कम से कम एक महिला पदाधिकारी हो) संयुक्त रूप से जाँच करते हुए प्रतिवदेन जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक को समर्पित किया जायेगा। प्रतिवेदन के आलोक में निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

ग) जिला परियोजना प्रबंधक की भूमिका :—

I. जिला परियोजना प्रबंधक जिला में अल्पावास गृह के सुचारू संचालन हेतु संचालक संस्था, जिला प्रशासन तथा महिला विकास निगम के मध्य समन्वयक की भूमिका अदा करेंगे।

II. जिला परियोजना प्रबंधक, जिला में निगम के प्रतिनिधि के रूप में अल्पावास गृह योजना के समन्वयक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिला में योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे।

III. योजना की निरंतरता की स्थिति में संस्था के साथ हुए अनुबंध की समाप्ति के एक माह पूर्व जिला में पदस्थापित निगम के प्रतिनिधि/ समन्वयक—सह—जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मंतव्य/अनुशंसा प्रबंध निदेशक, म.वि.नि. को उपलब्ध कराया जायेगा।

IV. विशेष परिस्थिति जैसे संवासिनों के अल्पावास गृह से भागने, मृत्यु, संवासिनों के साथ अप्रिय घटना होने, संचालन से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में तत्क्षण, इससे जिला प्रशासन एवं महिला विकास निगम को अवगत कराने की जिम्मेवारी जिला परियोजना प्रबंधक की होंगी।

v. मार्गदर्शिका के अनुरूप जिला में योजना का संचालन सुनिश्चित कराने का सम्पूर्ण दायित्व जिला परियोजना प्रबंधक का होगा।

vi. योजना के संचालन हेतु समय–समय पर प्रबंध निदेशक, म.वि.नि./जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश/निदेश का अनुपालन कराने का दायित्व जिला परियोजना प्रबंधक, म.वि.नि. की होगी।

vii. अल्पावास गृह योजना के संचालन में होने वाली समस्याओं और व्यवधान के समाधान हेतु संस्था एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना, जिला परियोजना प्रबंधक की जवाबदेही होगी।

viii. जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम जिला प्रोग्राम कार्यालय में संरक्षित योजना से संबंधित संचिकाओं को प्राप्त करते हुए आवश्कतानुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

ix. जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर स्वयं सेवी संस्था का अनुबंध, नवीनीकरण/कार्यादेश वित्तीय वर्ष के अनुरूप निगम के द्वारा किया जायेगा।

x. अल्पावास गृह में कार्यरत परियोजना कर्मियों का अनुबंध विस्तार वित्तीय वर्ष के अनुरूप संस्था द्वारा किया जायेगा। परियोजना कर्मियों के अनुबंध विस्तार करने के संबंध में जिला परियोजना प्रबंधक मंतव्य/अनुशंसा संस्था सचिव को उपलब्ध करायेंगे, तद्नुरूप संस्था अनुबंध विस्तार/अनुबंध रद्द करते हुए इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं महिला विकास निगम को उपलब्ध करायेंगी।

xi. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर संस्था द्वारा समर्पित उक्त वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वार्षिक भौतिक प्रतिवेदन संचिका के माध्यम से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अवगत कराते हुए महिला विकास निगम को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक की होगी।

xii. योजना के सुचारू संचालन हेतु नियमित समीक्षा, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन के उद्देश्य से प्रति माह **'जिला परियोजना प्रबंधक'** की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जायेगी, जिसमें संस्था प्रधान, अल्पावास गृह की प्रशिक्षण पुर्नवास पदाधिकारी एवं परियोजना प्रबंधक (महिला हेल्पलाईन) बतौर सदस्य के रूप में उपस्थित रहेगें। बैठक से संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रशासन एवं महिला विकास निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

xiii. जिला परियोजना प्रबंधक अल्पावास गृह में आवासित संवासिनों की खानपान की गुणवत्ता, गृह की साफ–सफाई, प्रसाधनों की स्वच्छता, इत्यादि के संबंध में निरीक्षण कर, प्राप्त त्रूटियों के संबंध में संस्था प्रधान से समन्वय करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करेगें।

घ) संचालक संस्था की भूमिका:–

I. स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जिला में संचालित अल्पावास गृह के नियंत्री पदाधिकारी संस्था प्रधान होगें। मार्गदर्शिका के अनुकूल संचालन की संपूर्ण जबावदेही संस्था प्रधान की होगी।

II. सभी परियोजना कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी संस्था प्रधान होगें। अल्पावास गृह के सुचारू संचालन हेतु कार्यरत कर्मियों के कार्यो एवं कार्य अवधि के निर्धारण की जिम्मेवारी संस्था प्रधान की होगी।

III. अल्पावास गृह में संवासिनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवासन हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।

IV. ससमय कर्मियों को मानदेय एवं अन्य योजना व्यय हेतु राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

V. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संस्था प्रधान/प्रभारी द्वारा अल्पावास गृह का मासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, जिला प्रशासन एवं महिला विकास निगम को तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VI. संवासिनों के भोजन, वस्त्र एवं प्रसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

VII. गृह में संवासिनों के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना।

VIII. महिला हेल्पलाईन/थानों से समन्वय स्थापित कर संवासिनों के पुर्नवास का कार्य करना।

IX. अल्पावास गृह के लिए वर्णित सभी पंजियों को अल्पावास गृह में अद्यतन व सुरक्षित रखना।

X. इसके अतिरिक्त समय–समय पर महिला विकास निगम/जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आदेश/निदेश का अनुपालन करना।

XI. परियोजना कर्मी से प्राप्त अवकाश संबंधी आवेदन की स्वीकृति के उपरांत कर्मियों के अवकाश में रहने की सूचना जिला परियोजना प्रबंधक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. अल्पावास गृह में भर्ती की नीति एवं प्रक्रिया :

अल्पावास गृह में महिलाओं की भर्ती प्रदायी सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः इसमें महिलाओं को प्रवेश देते समय निम्नांकित विषय विचारणीय होंगे :–

I. मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मानव पणन की शिकार, नैतिक दुराचार की पीड़ित/नैतिक खतरे से आसन्न, अथवा परिवारिक, सामाजिक विवाद के फलस्वरूप संबंध विच्छेद अथवा भावनात्मक विध्नता की शिकार महिलाओं/किशोरियों के लिए अल्पावास गृह में आवासन हेतु प्राथमिकता होगी।

II. अल्पावास गृह को विधवा, वृद्ध एवं बेसहारा महिलाओं के लिये परित्यक्ता गृह का स्वरूप माना जा सकता है, परंतु इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

III. अल्पावास गृह में उपलब्ध सेवाएं मानसिक विक्षिप्त, शारीरिक विकलांग महिलाओं के अनुकूल नहीं है। अतः ऐसी महिलाओं एवं किशोरियों को अल्पावास गृह में आश्रय प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन, थाना, न्यायालय द्वारा अनुशंसित ऐसी महिलाओं को तत्काल आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधितों के माध्यम से इन्हें अन्यत्र स्थानांतरण करने हेतु प्रशिक्षण –सह–पुनर्वास पदाधिकारी द्वारा वांछित समन्वय किया जायेगा।

IV. प्रशिक्षण–सह–पुनर्वास पदाधिकारी, अल्पावास गृह में आनेवाली महिलाओं/किशोरियों की समस्याओं का भली प्रकार विश्लेषण करने के उपरांत ही प्रवेश देंगी। अल्पावास गृह में आने वाली हर महिला एवं किशोरियों की अनुशंसा महिला हेल्पलाईन से तीन दिनों के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

V. यदि पुलिस की अभिरक्षा में किसी महिला या किशोरी को अल्पावास गृह में लाया जाता है तो निम्नांकित कार्रवाई अनिवार्य होगीः–

- पुलिस अधिकारी से विहित प्रपत्र में सुपूर्दगीनामा तथा सुपूर्दकर्त्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करना तथा उसकी एक प्रति सुपूर्दकर्त्ता को भी सौंपी जाएगी।
- पुलिस से चिकित्सकीय जांच प्रतिवेदन की मांग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं कराया गया हो तो स्थानीय अस्पताल में 24 घंटे के अंदर जॉच कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संभावित प्रस्थान की तिथि की जानकारी प्राप्त करना।
- वाद के प्रकृति की सूचना प्राप्त कर उसे अंकित करना।
- संवासिन का बयान दर्ज करना।
- संवासिन के पास उपलब्ध राशि, गहने, मोबाईल आदि को प्राप्त कर संरक्षित रखना।

vi. यदि न्यायालय द्वारा भेजी जाती है, तोः–

- न्यायालय के आदेश की मूल प्रति प्राप्त करना।
- सुपूर्दकर्त्ता का हस्ताक्षर सुपूर्दगीनामा पर लेना।
- न्यायालय द्वारा अल्पावास गृह में भेजी गयी पीड़िताओं की सूचना संबंधित महिला हेल्पलाईन को दिया जाना।

क) अगर कोई किशोरी स्वेच्छा से तथा बिना किसी अनुशंसा के अल्पावास गृह में आती है तो इसकी सूचना स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा तथा 24 घंटे के अंदर इसके मामले की हेल्पलाईन द्वारा समीक्षा कर भर्ती के संबंध में अनुशंसा प्राप्त करना प्रशिक्षण–सह–पुनर्वास पदाधिकारी के लिए अनिवार्य होगा।

ख) अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थिति में अगर कंडिका (vi) (क.) के प्रावधान के अनुरूप 24 घंटे के अंदर हेल्पलाईन की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो सके तो पीड़ित के मामले से भली प्रकार से संतुष्ट होकर तथा भर्ती के अन्य मापदंडों के पूरा होने पर प्रशिक्षण–सह–पुर्नवास पदाधिकारी सकारण आदेश के साथ किसी पीड़ित महिला को अधिकतम 3 दिनों के लिए भर्ती कर सकेंगी। तदुपरांत महिला हेल्पलाईन द्वारा विशेष परिस्थिति में अनुशंसित नहीं करने की स्थिति में परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन इसके कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन अंतिम निर्णय के लिए महिला विकास निगम के जिला में पदस्थापित जिला परियोजना प्रबंधक को सौपेंगी। विवाद की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी का इस संबंध में निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

vii. **चिकित्सा जॉच प्रतिवेदन** : तीन दिनों के अन्दर सदर अस्पताल से आयु निर्धारण, बी0 डी0 आर एल, एच आई वी, गर्भवस्था जॉच, चोट की जॉच आदि चिकित्सीय जांच करवाने की अनिवार्यता होगी। HIV जांच के लिए पीड़िता की रजामंदी प्राप्त करना एवं आयु निर्धारण की जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

viii. **भी.डी.आर.एल.** के लिए खून जांच निश्चित की जायेगी। अन्य बीमारी से बचने हेतु टीकाकरण अनिवार्य होगा।

ix. **संवासिन के पास यदि कोई मूल्यवान सामग्री यथा**– सोना/चांदी के आभूषण, मोबाईल आदि हो तो सूची तैयार कर संचिका में संधारित की जायेगी। सामग्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी संरक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी की होगी। संवासिन द्वारा अल्पावास गृह छोड़ने अथवा पुनर्वासित होने की स्थिति में उसकी सामग्री सूची के अनुसार वापस की जायेगी तथा प्राप्ति रसीद संचिका में संधारित की जायेगी।

x. निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकुल अल्पावास गृह में किसी महिला को प्रवेश देने की स्थिति में संस्था एवं प्रशिक्षण–सह–पुनर्वास पदाधिकारी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

xi. प्रत्येक तीसरे माह के प्रथम सप्ताह में अल्पावास गृह में रहने वाली संवासिनों के रख–रखाव, खान–पान, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं पुनर्वास आदि की समीक्षा कंडिका 15(iii) में वर्णित 'जिला स्तरीय समीक्षा समिति' द्वारा की जायेगी। पुनर्वास नहीं होने की स्थिति में आवासन अवधि पुनः तीन माह के लिए विस्तारित करने हेतु समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की संरचना निम्नवत होगीः–

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी– अध्यक्ष

जिला परियोजना प्रबंधक म.वि.नि.– संयोजक

संचालक संस्था के सचिव– सदस्य

प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी– सदस्य

परियोजना प्रबंधक/परामर्शी महिला हेल्पलाईन–सदस्य

5. **अल्पावास गृह का भवन**– पटना जिला में अल्पावास गृह के संचालन हेतु भवन कम से कम 2000 वर्गफीट एवं अन्य 37 जिलों के लिए 1200 वर्गफीट का भवन होना चाहिए, जिसमें क्षमता के अनुरूप शयनशाला, रसोई घर तथा 3 शौचालय एवं स्नानागार होना चाहिए। मकान में बिजली, पानी आदि बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध एव भवन संवासिनों के रख–रखाव के नजरिये से सुरक्षित होना चाहिए।
6. **अल्पावास गृह की क्षमता** : अल्पावास गृह में 25 महिलाओं/किशारियों के आवासन की क्षमता होगी। इनमें से 5–7 सीट ऐसी महिलाओ के लिये रहेगा जो उस नगर/जिला में ऐसे वैधिक मामलों में भाग लेने आती है जिनमें महिला हितरक्षा से संबंधित किसी वाद में वे पीड़ित पक्षकार हो। पटना जिला हेतू अल्पावास गृह भवन की क्षमता 50 बिस्तर की होगी।
7. **अल्पावास गृह का स्थान** – अल्पावास गृह जिला मुख्यालय में स्थापित होगा एवं यथासंभव इसे जिला में कार्यरत महिला हेल्पलाईन कार्यालय के निकट रखा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उक्त भवन जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में अवस्थित होना आवश्यक होगा।

8. **श्रमबल संरचना–** अल्पावास गृह के कर्मी संस्था के कर्मी माने जायेंगे। इन कर्मियों पर संस्था की मानव संसाधन नियमावली लागू होगी। अल्पावास गृह के कर्मियों का अनुबंध विस्तार जिला परियोजना प्रबंधक की मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा एवं इस आशय की सूचना सभी संबंधितों को देना अनिवार्य होगा।

9. अल्पावास गृह के लिये स्वीकृत पदो के लिये निम्नलिखित अहर्ताऐं होगी :

(i) (क) पद का नामः–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास पदाधिकारी (महिला हेतू आरक्षित)

- पदो की संख्या : 2 (दो)
- शैक्षणिक योग्यता किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान, समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान (Social Science) में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक।
- व्यवसाय के परंपरागत विधाओं यथा–सिलाई–कढ़ाई, टेडी बीयर बनाने आदि का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता होगी।
- अनुभव :– महिलाओं से संबंधित विषयों/समस्याओं पर सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं में न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव
- उम्र :– अधिकतम 40 वर्ष

(ख) पद का नामः– परामर्शी (महिला हेतु आरक्षित)

- पद की संख्या :– 1(एक)
- शैक्षणिक योग्यता – मनोविज्ञान में स्नातक।
- कम्पयूटर का ज्ञान, अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी। हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग मे ज्ञान को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अनुभव :– महिलाओं से संबंधित विषयो/समस्याओं पर सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में न्यूनतम 3 वर्षो का कार्यानुभव। परामर्श/शिक्षण संबंधित कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।
- उम्र सीमा–अधिकतम 40 वर्ष

(ग) पद का नाम :– चिकित्सक (अंशकालीन)

- पदों की संख्या :– 1 (एक)
- शैक्षणिक योग्यताः– एम.बी.बी.एस / बी.एच.एम.एस. / बी.ए.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. अंशकालीन चिकित्सक अनिवार्य रूप से महिला होगी।

(घ) पद का नाम :– लिपिक सह कार्यालय सहायक

- पद की संख्या :– 1 (एक)
- शैक्षणिक योग्यता :– स्नातक।
- हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर टंकण का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।
- अनुभव :– सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में कार्य में न्यूनतम 2 वर्षो का कार्यानुभव।
- उम्र सीमा – अधिकतम 40 वर्ष।

(ङ) पद का नाम :– चौकीदार

- पद की संख्या :– 03 (तीन) (महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी)
- शैक्षणिक योग्यता :– मैट्रिक/समकक्ष
- अनुभव :– सुरक्षा कार्यो के अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- उम्र सीमा – अधिकतम 40 वर्ष।

(च) पद का नाम :– आदेशपाल

- पद की संख्या :– 1 (एक)। (महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी)
- शैक्षणिक योग्यता :– मैट्रिक/समकक्ष।
- साईकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य होगा।
- अनुभव :– समरूप कार्य का 2 वर्षो का अनुभव।
- उम्र सीमा :– अधिकतम 40 वर्ष।

(छ) पद का नाम :– रसोईया

- पद की संख्या :– 1 (एक)। (महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी)
- शैक्षणिक योग्यता :– साक्षर, पढ़ने लिखने का ज्ञान।
- अनुभव :– समरूप कार्य का 2 वर्षो का अनुभव।
- उम्र सीमा :– अधिकतम 40 वर्ष।

(ज) **पद का नाम :– सफाईकर्मी (अंशकालीन)**

- पद की संख्या :– 2 (दो) महिला उम्मीदवार हेतू आरक्षित।
- शैक्षणिक योग्यता :– साक्षर। पढ़ने लिखने का ज्ञान।
- उम्र सीमा :– अधिकतम 40 वर्ष।

(ii) अर्हता से संबंधित नये मापदंड इस मार्गदर्शिका के आलोक में भविष्य में होने वाले नियुक्तियों पर ही लागू होंगे।

(iii) कार्यानुभव :– संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता प्राप्त करने के उपरांत (Post Qualification) किये गये कार्य का अनुभव मान्य होगा।

10. **श्रम बल चयन से संबंधित सामान्य मार्गदर्शिका :–**

स्वीकृत श्रम–बल का चयनः

(i) मार्गदर्शिका में निर्धारित अर्हत्ताओं के अनुरूप स्वीकृत श्रम–बल के चयन के संबंध में राज्य के 2 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन संस्था प्रधान द्वारा कराया जायेगा। प्रकाशन की कार्रवाई के पूर्व जिला परियोजना प्रबंधक से अनुशंसा प्राप्त कर निगम से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) संस्था प्रधान प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर चयन से संबंधित कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ चयन हेतु चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

(iii) जिला परियोजना प्रबंधक महिला विकास निगम के अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमे संचालक संस्था के प्रधान एवं निगम मुख्यालय से नामित एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(iv) चयन समिति द्वारा एक रिक्त पद के विरूद्ध कम–से–कम तीन योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार कर किया जायेगा, ताकि किसी परियोजना कर्मी का पद त्याग/निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष तक मान्य होगा।

(v) चयन संबंधी विवाद होने के स्थिति में परियोजना निदेशक, महिला विकास निगम बिहार पटना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगें।

(vi) योजना संचालन की अवधि में चौकीदार/आदेशपाल/सफाईकर्मी/ रसोईया जैसे पद के रिक्त होने की स्थिति में संस्था प्रधान अपने स्तर से जिला परियोजना प्रबंधक की सहमति से चयन की कार्रवाई कर निगम मुख्यालय एवं जिला प्रशासन को प्रतिवेदित करेंगे।

(vii) संस्था प्रधान अल्पावास गृह में नियुक्त परियोजना कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। योजना संचालन अवधि के दौरान, परियोजना कर्मी/कर्मियों को कार्यमुक्त करने अथवा कर्मी द्वारा पद त्याग करने की स्थिति में, संस्था प्रमुख जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम की अनुमति प्राप्त करेंगे। अल्पावास गृह के लिए नियुक्त कर्मी पूर्णरूपेण अल्पावास के कार्यो के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तथा सम्बन्धित संस्था उनकी सेवा का उपयोग अन्य कार्यो/परियोजनाओं में नहीं करेंगे।

(viii) अल्पावास गृह के श्रम बल चयन में एक से अधिक पद हेतु राज्य सरकार के आदर्श रोस्टर विन्दु का पालन किया जायेगा। इसके लिए आरक्षण रोस्टर अनुमोदन की आवश्यकता अलग से नहीं होगी तथापि जिला परियोजना प्रबंधक का परामर्श/मंतव्य आवश्यक माना जायेगा।

(ix) संस्था द्वारा सभी परियोजना कर्मियों की नियुक्तियॉ संविदा के आधार पर की जायेगी। नियुक्त परियोजना कर्मियों को पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक देय होगा।

(x) संविदा के आधार पर नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी।

(xi) परियोजना की निरंतरता की स्थिति में कर्मियों के कार्य समीक्षा के अनुसार कार्यरत कर्मियों की कार्यावधि का विस्तार किया जा सकेगा। कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम की अनुशंसा पर संस्था द्वारा परियोजना कर्मियों की सेवा अनुबंध अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकती है।

(xii) योजना के संचालन से संस्था को कार्यमुक्त कर दिये जाने की स्थिति में कर्मियों की भी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

11. **वित्तीय प्रबंधन :–** अल्पावास गृह योजना का संपूर्ण स्थापना व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु आवंटित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

राशि की विमुक्ति निम्न प्रकार होगी :–

I. निगम द्वारा संचालक संस्था को राशि की विमुक्ति चार किस्तों में की जायेगी। प्रत्येक किस्त कुल आवर्तक मद का 25 प्रतिशत होगा।

II. निगम के साथ अनुबंध के उपरांत प्रथम किस्त के रूप में कुल अनावर्तक मद की राशि नियमानुसार एवं आर्वतक मद का 25 प्रतिशत संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

III. प्रत्येक 03 माह के व्यय के उपरांत, संस्था द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक के माध्यम से मदवार व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत, जॉचोपरांत अगली किस्त की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

IV. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर वार्षिक 'अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र' एवं 'वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक महिला विकास निगम के माध्यम से निगम को समर्पित किया जायेगा। जिला परियोजना प्रबंधक प्राप्त प्रतिवेदनों को जॉचोपरांत निगम को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने मंतव्य के साथ अग्रसारित करेगें।

V. निगम द्वारा संस्था से प्राप्त प्रतिवेदनों के जॉचोपरांत, वास्तविक व्यय की गणना करने के उपरांत ही समायोजन की कार्रवाई की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम द्वारा निगम मुख्यालय को मदवार व्यय के संबंध में अपना मंतव्य निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। समायोजना के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

VI. सभी अवस्थाओं में व्यय की अधिकतम सीमा बजट में विभिन्न मदों में निर्धारित राशि के अधीन होगी। निर्धारित मदवार बजट से अधिक व्यय की अनुमति नहीं होगी। संवासिनों की संख्य निर्धारित 25 शैया (पटना जिला हेतु 50 शैया) से अधिक होने की स्थिति में उनपर होने वाले अतिरिक्त व्यय की स्थिति में जिला परियोजना प्रबंधक की अनुशंसा के आलोक में निगम मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा। एतदसंबंधी सभी प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VII. अल्पावास गृह में बजट प्रावधान के अंतर्गत व्यय की समस्त शक्ति संस्था प्रधान/ सचिव में निहित होगी। परियोजना राशि के अपव्यय अथवा दुर्विनियोग की स्थिति में संस्था के प्रधान ही उत्तदायी होंगे।

VIII. सभी परियोजना कर्मियों के मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से एकाउन्ट पेई चेक/आर.टी.जी.एस के माध्यम से किया जायेगा।

IX. कर्मियों हेतु योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदेय का भुगतान ससमय करना संस्था सचिव की जिम्मेवारी होगी।

X. मकान किराया–भाड़ा का भुगतान अनिवार्य रूप से एकाउन्ट पेई चेक/आर.टी.जी.एस के माध्यम से किया जायेगा।

XI. यात्रा भत्ता के व्यय का समायोजन, व्यय राशि से संबंधित प्रतिवेदन के जॉच के आधार पर की जायेगी।

XII. प्रसाधन सामग्री के व्यय का समायोजन संवासिनों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

XIII. अल्पावास गृह योजना से संचालक संस्था को निगम द्वारा कार्यमुक्त करने की तिथि के उपरांत, योजना संचालन संबंधी किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

XIV. संवासिनों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अंशकालीन चिकित्सक का पद स्वीकृत है। सामान्यतः संवासिनों के बीमार होने पर चिकित्सा हेतु अंशकालीन चिकित्सक की सेवा ली जायेगी। इनकी अनुशंसा पर विकट/गंभीर स्थिति में संवासिनों की चिकित्सा हेतु आपातकालीन तथा आकस्मिक चिकित्सा मद का उपयोग किया जा सकता है। इस हेतु दोनो प्रशिक्षण सह पुर्नवास पदाधिकारी के पास 15,000–15,000 रूपये आकस्मिक निधि के रूप में रहेगी। प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी उक्त व्यय की सूचना एवं प्रतिवेदन संचालन संस्था के साथ साथ जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम को अनिवार्य रूप से देगी ।

XV. अंशकालीन चिकित्सक द्वारा समर्पित स्वास्थ्य प्रतिवदेन प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी संवासिनों के स्वास्थ्य प्रतिवेदन को संबंधित संचिका में संधारित रखेगी ।

XVI. अकास्मिक आवश्यकता पडने पर पुनर्वास सह प्रशिक्षण अधिकारी अपने पास उपलब्ध इम्प्रेस्ट मनी का उपयोग करेंगी। जिसका समायोजन संचालनकर्ता संस्था को मूल विपत्र प्राप्त करवाने के उपरांत किया जा सकेगा।

XVII. योजना संचालन हेतु राशि का आवंटन मदवार संचालक संस्था को दिया जायेगा। जिसका उपयोग/व्यय संस्था द्वारा अल्पावास गृह के प्रबंधन एवं संबंधित मदों में किया जायेगा तथा मदवार व्यय विवरणी एवं विपत्र/भावचर व्यय राशि के समायोजन/स्वीकृति हेतु निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा रोकड़ बही तथा खाता बही आवश्यक रूप से संधारित किया जायेगा।

XVIII. संस्था द्वारा योजना संचालन में स्वीकृत/रिक्त पदो के विरूद्ध चयन हेतु सूचना प्रकाशन/विज्ञापन में हुए व्यय राशि के समायोजन हेतु निगम को विपत्र एवं अन्य प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा। तदुपरांत निगम अपने स्तर से जॉच करते हुए भुगतान की कार्रवाई करेगा।

XIX. निम्न कार्यो यथा कार्य का निरीक्षण, प्रचार प्रसार एवं अन्य व्यय जिस हेतु कोई मद/बजट में प्रावधान नहीं हो, उसमें कर सकेगें।

मद	कुल रूपया
निरीक्षण प्रतिमाह 2 बार 500	12,000.00
प्रचार –प्रसार	12,000.00
अंकेक्षण कार्य	7,000.00
मनोरंजन के साधन समाचार पत्र एवं पुस्तक, खेल सामग्री कैरम ,लुडो बच्चों के खिलौने आदि	10,000.00
प्रशिक्षण के साधन	15,000.00
अन्य	19,000.00
कुल :–	**75,000.00**

XX. **अनावर्तक मदः–** अल्पावास गृह के स्थापना के 03 साल बाद आश्यकतानुसार अल्पावास गृह में क्रय की जाने वाली सामग्रियों के संबंध में क्रय समिति में जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, प्रशिक्षण–सह–पुनर्वास पदाधिकारी एवं संस्था प्रधान होगें। अल्पावास गृह हेतु सामग्रियों का क्रय समिति के अनुशंसा के आलोक में किया जा सकेगा। अनावर्तक पूर्व से संचालित योजनाओं की स्थिति में अनावर्तक मद से क्रय की जाने वाली सामग्रीयों की अनुशंसा/अनुमोदन जिला स्तरीय समीक्षा/अनुश्रवण समिति (त्रैमासिक बैठक) द्वारा की जायेगी।

12. लाभार्थियों की कोटि

(i) घरेलू हिंसा की पीड़ित कोई भी महिला या किशोरी जिनको अल्पकाल तक आवासन की आवश्कता हो।

(ii) बेसहारा विधवा महिला जिनको अल्पकाल तक आवासन की आवश्कता हो।

(iii) अनैतिक मानव पणन की शिकार अथवा वेश्यावृति के लिए बाध्य की गयी कोई महिला/ किशोरी जिनको अल्पकाल तक आवासन की आवश्यकता हो ।

(iv) प्रताड़ना की स्थिति में, घर छोडने को बाध्य कोई भी महिला या किशोरी जो जीवन निर्वाह में अक्षम तथा साधन विहीन हो एवं जिन्हें उत्पीडन के विरूद्ध कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त हो और/अथवा वैवाहिक विवाद के कारण जिन पर मुकदमा चल रहा हो ।

(v) यौन–शोषण की शिकार जो परिवार/समाज में पुनस्थापित होने में कठिनाई का सामना कर रहीं है ।

(vi) वैवाहिक मतभेद, ,भावनात्मक रूप से प्रताड़ित तथा सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहीं महिलायें ।

(vii) परिवारिक समस्याओं तथा मानसिक /शारीरिक शोषण के कारण आश्रय हेतु जरूरतमंद महिलाये जिन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा एवं परामर्श की आवश्यकता है ।

(viii) वैसी महिलायें जिनकी अल्पावास गृह में प्रवेश के लिए राज्य सरकार/न्यायालय /महिला विकास निगम से कोई निर्देश प्राप्त होता है ।

(ix) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति विकलांग महिला/किशोरी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(x) महिलाओं की गोद के शिशु अथवा अल्पावास गृह में उत्पन्न शिशु को भी अधिकतम 8 वर्ष की आयु तक अल्पवास गृह में आश्रय प्राप्त होगा । कन्या शिशु के मामले में उम्र का यह प्रतिबंध लागू नही होगा ।

(xi) विधिक मामलों में न्यायालय में उपस्थित होने वाली वैसी महिलाओं को अस्थायी आश्रय जिसमें महिला हित रक्षार्थ प्रभावी अधिनियमों के अन्तर्गत वे पीडित पक्षकार हो। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिवक्ता द्वारा अनुशंसा अथवा वाद से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज/अभिलेख की छाया प्रति समर्पित करना होगा।

13. अन्य प्रदत्त सेवाये :– विभिन्न प्रकार की प्रताडनाओं एवं अत्याचार से पीडित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के साथ उनके हेतु निम्नांकित अनुषंगी सेवाये प्रदान की जायेगी :–

(i) विशिष्ट परामर्शी सेवा तथा नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला मे स्थापित हेल्पलाईन के साथ समन्वय ।

(ii) विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी हेतु प्रयास ।

(iii) अल्पावास गृह में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास हेतु प्रयास ।

(iv) वैचारिक सहयोग एवं सेवा के माध्यम से संवासिनो का पारिवारिक एवं सामाजिक पुनर्वास ।

14. अल्पावास गृह से संवासिनों के निर्वासन/निगमन की प्रकिया

(i) पुलिस /न्यायालय द्वारा अभिरक्षा हेतु अल्पावास गृह में लायी गयी पीडिता के प्रस्थान के समय निम्न प्रक्रियाऐं अपनायी जायेगी।

- आदेश (Release Order) की प्रति प्राप्त करना।
- प्राप्तकर्ता के पहचान के प्रमाण की छाया प्रति प्राप्त करने के उपरांत सुपुर्दगीनामा प्रपत्र में उनसे और संवासिन से हस्ताक्षर लेना ।
- प्रस्थान के पूर्व संवासिन का मेडिकल चेकअप कराते हुए इसकी छाया प्रति सुदुर्दगीनमा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रस्थान की तिथि से तीन दिनों के अंदर यदि संवासिन का मेडिकल चेकअप किया गया हो, ऐसी स्थिति में पुनः मेडिकल चेकअप की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ii) संवासिन द्वारा स्वेच्छा से अल्पावास गृह से जाने /परिवार द्वारा ले जाने की स्थिति में लिखित आवेदन एवं परिवार/रिश्तेदार का पहचान पत्र का मान्य प्रमाण लेना

अनिवार्य होगा। (**कंडिका (4) के उपकंडिका vi (क)** – के अनुरूप अल्पावास गृह में रह रही संवासिनो को छोड़कर)। अल्पावास गृह छोडने के पूर्व संवासिन का मेडिकल चेकअप कराने की अनिवार्यता होगी । चिकित्सकीय जॉच प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित संचिका में रखी जायेगी एवं एक प्रति संवासिन को ले जाने वाले व्यक्ति को दी जायेगी । अल्पावास गृह से पीडिता जहॉ जा रही है, वहॉ का पता दूरभाष के साथ संबंधित संचिका में संधारित की जायेगी।

15. कार्य समीक्षा एवं प्रतिवेदन

(i) सभी अल्पावास गृह अपने कार्यो से संबंधित मासिक एवं त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक महिला विकास निगम को उपलब्ध करायेगें, जिसकी एक प्रति निगम कार्यालय एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भी भेजना अनिवार्य होगा। निगम एवं सरकार की अवश्यकतानुसार प्रतिवेदन को अनुमोदित प्रपत्र में उपलब्ध कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

(ii) मासिक प्रतिवेदन अगले माह की 05 तारीख तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन तिमाही की समाप्ति के 07 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। मासिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन समय पर जमा करना आवंटित राशि की विमुक्ति के लिए भी एक शर्त होगी। वार्षिक प्रतिवेदन अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ निगम को समर्पित किया जायेगा।

(iii) **समीक्षा/अनुश्रवण समिति** : जिला स्तरीय **समीक्षा/अनुश्रवण समिति** की संरचना निम्नवत होगी:–

(क) **त्रैमासिक समीक्षा/अनुश्रवण समितिः–**
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी– अध्यक्ष
जिला परियोजना प्रबंधक म.वि.नि.– संयोजक
संचालक संस्था के सचिव– सदस्य
प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी– सदस्य
परियोजना प्रबंधक/परामर्शी महिला हेल्पलाईन–सदस्य

(ख) **मासिक समीक्षा/अनुश्रवण समितिः–**
जिला परियोजना प्रबंधक म.वि.नि.–अध्यक्ष
संचालक संस्था के सचिव– सदस्य
प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी– संयोजक सदस्य
परियोजना प्रबंधक/परामर्शी महिला हेल्पलाईन–सदस्य

समिति द्वारा जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम को प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

अल्पावास गृह के कार्यो की निगम मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं समय–समय पर गठित धावा दल द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इन पदाधिकारियों/धावा दल द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम को समर्पित किया जायेगा।

16. अल्पावास गृह (Short stay Home) अनुमोदित बजट

उत्पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुर्नवासित करने के उद्देश्य से **अनैतिक मानव पणन रोकथाम अधिनियम 1986 एवं महिलाओं को घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, 2005** (Immoral Traffic Prevention Act, 1986 & Protection of Women against Domestic Voilence Act, 2005) में निहित प्रावधानों के अनुसार महिलाओं एवं किशोरियो की खरीद फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 38 अल्पावास गृह की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अल्पावास गृह को अधिक प्रभावी एवं साधन संपन्न बनाने की आवश्यकता को महसूस

करते हुए राज्य मंत्री परिषद द्वारा वर्ष 2013 में नये पदो के सृजन एवं बजट पुनरीक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है । 37 जिलों में 25 विस्तर वाले एक इकाई एवं राजधानी पटना में पूर्व में स्वीकृत 02 इकाई को एकीकृत करते हुए 50 बिस्तर वाले एक इकाई का संचालन किया जाना है ।

राज्य मंत्रीमंडल के संशोधन के उपरांत अल्पावास गृह की संरचना निम्नबत है ।

- कार्याकारी जिले की संख्या – 38
- अल्पावास गृह की कुल इकाई – 38
- लाभार्थी – राज्य की उत्पीडित महिलाएं एवं किशोरियो
- कार्यान्वयन अभिकरण – निगम का जिला महिला सशकितकरण कार्यालय अथवा गैर सरकारी संगठन।
- क्षमता – पटना जिला हेतु 50 एवं शेष अन्य 37 जिला हेतु 25 बिस्तर।

I. जिला स्तर पर योजना के संचालन हेतू समय–समय पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश/निदेश/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला परियोजना प्रबंधक/संचालक संस्था का होगा।

अनावर्तक व्यय

बिस्तर, तोशक, चादर, बर्तन, चौकी, पंखा, कुर्सी, टेबुल एवं अन्य आवश्यक उपस्कर /उपकरण हेतु रू0 1,75,000/–मात्र (प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत जिला स्तर पर गठित समिति के अनुशंसा/आकलन के आधार पर आवंटन उपलब्ध कराने का प्रावधान)।

1. बेड (तोसक ,चौकी ,चादर सहित)	2000x27	-	54,000.00
2. पंखा ,टयूब लाईट	1800x8	-	14,400.00
3. टेबुल	1000x4	-	4,000.00
4. कुर्सी (प्लास्टिक)	250x15	-	3,750.00
5. बर्तन ,गैस चूल्हा	30,000.00	-	30,000.00
6. अग्निशमन यंत्र	5,000.00	-	5,000.00
7. एक्वागार्ड (ए0एम0सी0 सहित)	15,000.00	-	15,000.00
8. इनवर्टर (बैट्री सहित)	20,000.00	-	20,000.00
9. टी0वी028 इंच	10,000.00	-	10,000.00
10. वस्त्र– साड़ी, पेटिकोट ,ब्लाउज, सलवार शूट,बच्चों के कपड़े इत्यादि	18,850.00	-	18,850.00
कुल		:–	1,75,000.00

आवर्तक व्यय प्रति इकाई

क्र.सं.	मद	इकाई	वार्षिक बजट	कुल बजट
1.	प्रशिक्षण एवं पुर्नवास पदाधिकारी	2	2X12,000X12	2,88,000.00
2.	परामर्शी –सह–कार्यालय सहायिका	1	1X12,000X12	1,44,000.00
3.	चिकित्सक (अंशकालीन)	1	1X9,000X12	1,08,000.00
4.	लिपिक–टाईपिंग एवं एकाउटिंग	1	1X8,000X12	96,000.00
5.	चौकीदार	3	3X 6,180 X12	2,22,480.00
6.	आदेशपाल /अनुसेवक	1	1X 6,180 X12	74,160.000
7.	रसोईया	1	1X 7,860 X12	94,320.00
8.	सफाई कर्मी (अंशकालीन)	2	2X2000X12	48,000.00

9.	कार्यालय व्यय	1	1X5,000X12	60,000.00
10.	भोजनादि	27	27X12,00X12	3,88,800.00
11.	पीडिता के लिए यात्रा व्यय		2,500X12	30,000.00
12.	भवन किराया एवं विधुत व्यय	1	1X12,000X12	1,44,000.00
13.	आपातकालीन तथा आकस्मिक चिकित्सा व्यय		1,00,000.00	1,00,000.00
14.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (स्वधार के अनुरूप)		13X1800	23,400.00
15.	प्रसाधन सामग्री (संवासिनों हेतु)		125X12X25	30,000.00
16.	संचालन व्यय		6250X12	75,000.00
				19,26,160.00

कुल लागत – **अनावर्तक व्यय** – रू0 1,75,000.00
आवर्तक व्यय – रू0 19,26,160.00
कुल योग – 21,01,160.00

पटना जिला –अल्पावास गृह

(क) आवर्तक व्यय

क्र.सं.	मद	इकाई	वार्षिक बजट	कुल बजट
1.	प्रशिक्षण एवं पुर्नवास पदाधिकारी	2	2X12,000X12	2,88,000.00
2.	परामर्शी –सह–कार्यालय सहायिका	1	1x2,000 x12	1,44,000.00
3.	चिकित्सक (अंशकालीन)	1	1X9,000X12	1,08,000.00
4.	लपिक–टाईपिंग एवं एकाउटिंग	1	1X8,000X12	96,000.00
5.	चौकीदार	3	3x6,180x12	2,22,480.00
6.	आदेशपाल /अनुसेवक	1	1x 6,180x12	74,160.00
7.	रसोईया	1	1x 7,860x12	94,320.00
8.	सफाई कर्मी (अंशकालीन)	2	2X2,000X12	48,000.00
9.	कार्यालय व्यय	1	1X10,000X12	1,20,000.00
10.	भोजनादि	52	52X12,00X12	7,48,800.00
11.	पीडिता के लिए यात्रा व्यय		5,000X12	60,000.00
12.	भवन किराया एवं विधुत व्यय	1	1X50,000X12	6,00,000.00
13.	आपातकालीन तथा आकस्मिक चिकित्सा व्यय		2,00,000.00	2,00,000.00
14.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (स्वधार के अनुरूप)		25X1800	45,000.00
15.	प्रसाधन सामग्री (संवासिनों हेतु)		100X12X50	60,000.00
16.	संचालन व्यय		10,500X12	1,26,000.00
				30,34,760.00

आवर्तक व्यय – रू0 30,34,760.00
अनावर्तक मद :– रू0 3,50,000.00
कुल योग – रू0 **33,84,760.00**

नोट :– स्पष्ट करना है कि निगम के 28वें निदेशक पर्षद की बैठक में अल्पावास गृह योजना में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में 5% की वार्षिक वृद्वि की गई है। अतः नवचयनित कर्मियों की मानदेय में यह वार्षिक वृद्धि (5%) योगदान के 01 वर्ष के उपरांत लागू होगा।

17.अल्पावास गृह की संचालन नियमावली

1. चयन संबंधित

i **संस्था के चयन से संबंधित :–**

(क) निर्धारत मार्गदर्शिका में वर्णित अर्हताओं के अनुरूप स्वयं सेवी संस्था का चयन किया जायेगा।

(ख) स्वयं सेवी संस्था का चयन एकल पद्वति से नहीं बल्कि विज्ञापन प्रकाशित कर किया जायेगा।

(ग) निगम द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में संस्था के चयन हेतु दो चरण निर्धारित किये गये है ।

- **प्रथम चरण (तकनीकी रिब्यू)**–इसके अंतर्गत मार्गदर्शिका /विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं के आलोक में संस्था द्वारा समर्पित दस्तावेजों के जांच करते हुए अगले चरण हेतु चयन।
- **द्वितीय चरण (अंक निर्धारण)**–संस्था के चयन हेतु अंक निर्धारित किये गये है। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रुप से किया जायेगा।

क0	आधार	कुल अंक (अधिकतम)
1.	प्रस्तुतीकरण (Power Point)	15
2.	कार्य अनुभव	20
3.	साक्षात्कार	15
	कुल अंक	**50**

ii अल्पावास गृह के परियोजना कर्मियों का चयन मार्ग दर्शिका के आलोक में की जायेगी। चयन हेतु अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा ।

1.शैक्षणिक योग्यता – 15
2.अतिरिक्त योग्यता – 10
3.अनुभव – 10
3.साक्षात्कार – 15

2. अल्पावास गृह में प्रदान की जाने वाली सेवायें/सामग्रियां :

(क) प्रत्येक संवासिन हेतु अलग–अलग बेड बिछावन (गददा) चादर, तकिया, मच्छरदानी, थाली , कटोरा एवं गिलास की व्यवस्था ।

(ख) संवासिन हेतु साडी, पेटीकोट, ब्लाउज की व्यवस्था ।

(ग) किशोरी एवं बालिकाओं के लिए पोशाक की व्यवस्था ।

(घ) भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था ।

(ङ) बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था ।

(च) नियमित चिकित्सा सुविधा । अकास्मिकता हेतु कुछ दवा अल्पावास गृह में भी रखी जाएगी जिसे अंशकालीन चिकित्सा की सलाह पर संवासिनों को दिया जायेगा।

(छ) मनोरंजन हेतु लुडो, चेस, कैरमबोर्ड, ढोलक, हरमोनियम, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि के साथ साथ टेलीविजन की व्यवस्था ।

(ज) निर्वाध विधुत आपूर्ति हेतु यथा संभव जेनरेटर /इन्वर्टर की सुविधा ।

iii प्रशिक्षण की व्यवस्था अल्पावास गृह में रह रही संवासिनों को प्रशिक्षण सह पुर्नवास पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विधाओं यथा–सिलाई, कढाई–बुनाई, टेडी बीयर बनाने आदि में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

18. संवासिन के प्रवेश हेतु अनिवार्यता :–

I. यदि 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका अथवा किशोरी संरक्षण हेतु अल्पावास गृह आती है या लाई जाती है, तो यह प्रशिक्षण–सह–पुर्नवास पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जिला के सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति को सूचित करते हुए 24 घंटे के अन्दर रखे जाने का आदेश प्राप्त कर लें।

II. मानव व्यापार से संबंधित वादों में आई महिला, किशोरी के संबंध में अल्पावास गृह में रखे जाने के पूर्व प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

III. संवासिन के अल्पावास गृह में तीन माह से अधिक रहने की स्थिति में प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर सदर अस्पताल में उसका संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रतिवेदन संचिका में संधारित किया जायेगा।यदि कोई किशोरी अभिरक्षा हेतु अल्पावास गृह में संरक्षण की मांग करती है तो उसे प्रवेश दिया जायेगा परंतु तीन दिनों के अंदर सनहा/ प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराते हुए महिला हेल्पलाईन से अनुमोदन प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

IV. अल्पावास गृह में प्रशिक्षण –सह–पुर्नवास पदाधिकारी के 24 धंटों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण–सह–पुर्नवास पदाधिकारी के दो पद सृजित किये गये है। अवकाश/प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण–सह–पुर्नवास पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में दूसरी प्रशिक्षण–सह–पुनर्वास पदाधिकारी को अवकाश /प्रशिक्षण की स्वीकृत नहीं दी जायेगी।

V. संचालनकर्ता संस्था /प्रभारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अल्पावास गृह सुरक्षा का समुचित व्यवस्था तथा निगरानी की उचित व्यवस्था करें। अल्पावास गृह से महिला हेल्पलाईन को भेजी गई संचिका हर हालत में तीन दिनों के अंदर वापस करने की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधक की होगी । विलम्ब होने से यदि कोई कानूनी बाध्यता उत्पन्न होती है, तो वे ही जिम्मेवार मानी जाएगी ।

VI. अल्पावास गृह एक जेल नहीं है। यहां संवासिन को नैदानिक, मनोवैज्ञानिक माहौल में रखा जाना चाहिए। संवासिनों को घरेलू महौल में रखा जाना सुनिश्चित करना संचालक संस्था का दायित्व होगा।

VII. अल्पावास गृह में आवासित किसी संवासिन की भागने/मृत्यु होने कि स्थिति में अल्पावास गृह में कार्यरत पदाधिकारी/संस्था सचिव द्वारा इसकी सूचना अविलंब जिला पदाधिकारी, संबंधित पुलिस थाना, जिला प्रशासन के नोडल पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक (महिला विकास निगम) एवं निगम मुख्यालय को दिया जाना अनिवार्य होगा।

VIII. सांय 5.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक अल्पावास गृह के उस हिस्से में जहॉ संवासिन निवास करती हो, पुरूष कर्मियों / पदाधिकारियों का प्रवेश निषेघ होगा। परंतु विशेष परिस्थिति में 'जॉच/निरीक्षण के क्रम में निगम एवं जिला प्रशासन का निदेश/आदेश के आलोक पुरूष कर्मियों / पदाधिकारियों कभी भी प्रवेश कर सकते है।

IX. न्यायालय के आदेश पर पुलिस संरक्षण में संवासिन को न्यायालय में ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी की होगी।

X. मासिक प्रगति प्रदिवेदन में संबंधित माह में अल्पावास गृह में पंजीकृत एवं पुनर्वासित संवासिनों का फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न (चिपका) होगा ।

XI. संचालक संस्था के प्रधान द्वारा अल्पावास गृह का एक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक तीन माह में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला परियोजना प्रबंधक एवं निगम मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

XII. अल्पावास गृह में प्रवेश पाने वाली सभी संवासिनों को परामर्श की सेवा परामर्शी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

19. अल्पावास गृह में संधारित की जानेवाली पंजी का नाम।

I. आगन्तुक पंजी (Visitor Register)
II. संवासिनों की आगमन पंजी (victims Entry Register)
III. संवासिनों की विरमित पंजी (victims disposal Register)

IV. अल्पावास गृह के कर्मियों की उपस्थिति पंजी (Staffs attendance Resister)
V. रोकड पंजी एंव लेजर पंजी (Cash book & ledger Register)
VI. मानदेय भुगतान पंजी (Honorarium payment Register)
VII. पुस्तकालय पंजी (Library book stock Register)
VIII. परिसम्पित पंजी (Asset Register)
IX. महिला अल्पावास गृह में आये पदाधिकारियों एवं संवासिनो का सुझाव पंजी (suggestion /Feed back Register) (इस पंजी का निरीक्षण प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी रोज संध्या में करेगी तथा माह में एक बार सचिव /प्रभारी पदाधिकारी को उपस्थापित करेगें)
X. चपरासी वही (Peon book)
XI. पत्र आगत एवं निर्गत पंजी (Incoming & Dispatch letter Register)
XII. चिकित्सा जॉच प्रतिवेदन पंजी (Medical Checkup Report Register)
XIII. टेलीफोन पंजी (call Register)
XIV. संवासिनों का दैनिक उपस्थिति पंजी (Victims attendance Register)
XV. परियोजना कर्मियों के भ्रमण से संबंधित पंजी (Staff Movement Register)
XVI. संवासिनों को दिये गये कौशल, उन्नयन प्रशिक्षण पंजी (Skill Development Training Register)